उपरोक्तानुसार नवगठित नगर पालिकाओं के लिए राजस्थान नगर पालिका सेवा में निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के तहत निम्नानुसार कुल 684 नवीन पदों को सृजित किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क.सं.	पदनाम	प्रत्येक नगर पालिका हेतु स्वीकृत पद	कुल 76 नगर पालिकाओं हेतु स्वीकृत पदों की संख्या
1	अधिशाषी अधिकारी–चतुर्थ	1	76
2	सहायक राजस्व निरीक्षक	1	76
3	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	1	76
4	कनिष्ठ लेखाकार	1	76
5	ठोस कचरा प्रबन्धक (स्वास्थ्य निरीक्षक–II)	1	76
6	वरिष्ठ प्रारूपकार	1	76
7	वरिष्ठ सहायक	1	76
8	कनिष्ठ सहायक	2	152
योग			684

उक्त नवगठित 76 नगर पालिकओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार, सफाई जमादार एवं सफाई कर्मचारियों का कार्य (OUT SOURCING) के आधार पर कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

01. उक्त पदों के वेतन भत्तों हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान देय नहीं होगा। संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये कार्मिकों को नियोजित किया जावेगा।

02. पदों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/भरने की कार्यवाही निर्धारित प्रकिया, नियम/आरक्षण प्रावधान के अनुरूप किया जावेगा।

उपरोक्त 684 नवीन पदों को सृजित किये जाने की स्वीकृति वित्त (व्यय–3) विभाग की आई.डी. कमांक 172601115 द्वारा अनुमोदित है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2020–21 एवं वर्ष 2022–23 में गठित की गई 06 नई नगर पालिकाओं कमशः नगर पालिका, गुढ़ागौड़जी (झुंझुनू), नगर पालिका, रानीवाड़ा (जालौर), नगर पालिका, जावाल (सिरोही), नगर पालिका, लालगढ़–जाटान (श्रीगंगानगर), नगर पालिका, ऋषभदेव (उदयपुर) एवं नगर पालिका सेमारी (उदयपुर) के लिए वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102104750/27.10.2021 एवं 102204028/03.08.2022 द्वारा निम्न विवरणानुसार कुल 54 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी, चूंकि ये सभी नगर पालिकाऐं पुनः ग्राम पंचायतों में परिवर्तित की जा चुकी हैं, ऐसी स्थिति में इनके लिए स्वीकृत सभी 54 पदों को वित्त विभाग के निर्देशानुसार पूर्णरूपेण समाप्त किया जाता है।